an>

Title: Need to provide adequate funds to address drinking water problem in Rajasthan.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) ः जल संसाधन की कमी के मद्देनज़र पेयजल की विकट स्थिति को देखते हुए राजस्थान राज्य को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि का आवंटन करने की मांग काफी समय से चल रही है। राज्य में दीर्घकालीन शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु आगामी 10 वर्षों की अवधि में रूपये 1,50,000 करोड़ की आवश्यकता है, जो सामान्य रूप से रूपये 40,000 करोड़ स्टेट प्लान, एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी., जे.एन.एन.यू.आर.एम., यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. एवं अन्य संस्थाओं से ऋण के रूप में उपलब्ध हो सकते हैं। इस तरह रूपये 1,10,000 करोड़ की विशेष सहायता आगामी 10 वर्षों में रूपये 11,000 करोड़ प्रतिवष् के हिसाब से आवश्यक होगी। माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार की माननीय केन्द्रीय मंत्री के साथ दिनांक 04.07.2014 को दिल्ली में आयोजित बैठक में ग्रामीण पेयजल योजनाओं हेतु राशि रूपये 72,750 करोड़ की कमी बतायी गयी, जिसके बाबत विशेष सहायता आगामी 10 वर्षों में 7,275 करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. मद में आवश्यक होगी। इस बाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा भी एक ज्ञापन 29.06.2009 से तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री महोदय को राजस्थान राज्य को विशेष दर्जा देने हेतु भेजा गया था, परंतु आज दिनांक तक भारत सरकार के स्तर पर निर्णय लम्बित है।

अतः मेरा माननीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री से आग्रह है कि राजस्थान राज्य को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत रूपये 7,275 करोड़ प्रतिवर्ष धनराशि देने की कृपा करें ताकि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोगों को पीने का पानी मिल सके।